-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बिसंडा पुलिस द्वारा महिला की धारदार हथियार से हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब है कि दिनांक 11.07.2026 को थाना बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम कोर्रही में एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी । सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । घटना के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका की बालिग पुत्री ने गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग के उपरांत विवाह कर लिया था । मृतका इस संबंध का विरोध करती थी । इसी बात से आक्रोशित होकर युवक ने अपने दो सगे चाचा के साथ मिलकर धारदार हथियार से महिला पर हमला कर उसकी हत्या कर दी । जिसमे मृतका के पुत्री की तहरीर के आधार पर थाना बिसंडा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद किया गया ।

बरामदगी-

- 01 कुल्हाड़ी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लवकुश पुत्र लक्ष्मी निवासी ग्राम कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
2. सत्तु पुत्र जगदेव निवासी ग्राम कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
3. छोटेलाल पुत्र जगदेव निवासी ग्राम कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 332/26 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष बिसण्डा श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी ।
2. कां0 जितेन्द्र कुमार
3. कां0 अजय कुमार
4. म0कां0 प्रीति पटेल